UPSI120001872004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी (कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03421

दीवानी वाद संख्या–148/2004

अनिल कुमार उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व० पुत्तीलाल निवासी बालपुर खड़सार, नि० ग्राम बालपुर खड़सार परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर। **–––––– वादी।**

बनाम

01. कौशल किशोर उम्र 40 साल पुत्र कृष्ण कुमार।

02. रेशमा देवी आयु 35 वर्ष पत्नी कोशल किशोर। निवासीगण ग्राम पकरिया, परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर। **–––– प्रतिवादीगण।**

एक पक्षीय निर्णय

01. प्रस्तुत वाद वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध विक्रय पत्र निरस्तीकरण की आज्ञप्ति हेतु योजित किया गया है।

02. संक्षेप में वाद पत्र के अनुसार वादी का कथन है कि वादीय भूमि गाटा संख्या 180/0.275 व 193/0.186 व गाटा संख्या 194/0.185 हे० स्थित ग्राम बालपुर परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर वादी एवं उसके सगे भाइयों के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादीय भूमि में वादी के मंझले भाई का 1/4 अंश है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वादी का शजरा खानदान निम्न है:

चतुरी

वेदनाथ | पुत्तीलाल (मृतक) बेवा कुसमा देवी (पुनर्विवाह) पुत्र अनिल कुमार ना०बा० | सुरेश | देशराज

वादी के सगे भाई पुत्तीलाल की मृत्यु के बाद उसकी बेवा कुसमा देवी ने गाँव के द्वारिका के साथ पुनर्विवाह कर लिया था इस कारण प्रार्थी को पुत्तीलाल के एकमात्र पुत्र एवं जायज वारिस अनिल कुमार नाबालिग का संरक्षक प्रार्थी को सगा चाचा होने के कारण राजस्व अभिलेखों में 09.03.04 को दर्ज किया गया। पुत्तीलाल की बेवा कुसमा देवी कम दिमाग की औरत है उसकी जमीन हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर चाचा संरक्षक के नाम का आदेश 09.03.2004 को अवैधानिक तौर पर यह कहकर कि बेवा जीवित है निरस्त करवा दिया और उसकी माँ कुसमा देवी को संरक्षक बिना कोई जाँच पड़ताल किये हुए बनवाकर 10.06.2004 को राजस्व अभिलेखों में करवा दिया। प्रतिवादीगण ने साजिश के तहत ही बेवा के हक में प० क० 11 का आदेश दिनाँक 10.06.04 के होते ही उसे बहला फुसला कर बिना प्रतिफल दिये दिनाँक 11.06.2004 को नाबालिग अनिल कुमार की भूमि गलत तथा पूर्णतया अवैधानिक तौर पर प्रतिवादीगण ने कथित वादीय भूमि का बैनामा अपने नाम करवा लिया। वादीय भूमि का बैनामा करने का अधिकार विक्रेता को नहीं था। वादीय भूमि का बैनामा होने से अनिल कुमार नाबालिग के अधिकारों का हनन हुआ वहीं यह भूमिहीन हो जायेगा। उसे कोई प्रतिफल नहीं मिला। वादीय भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है तथा उसकी फसल बोई है। प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया कथित बैनामा दिनाँक 11.06.04 फर्जी एवं निरस्त होने योग्य है। वादीय भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से रोका न गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वाद का कारण न्यायालय श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार ग्राम बालपुर परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर में दिनाँक 10.07.04 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने कथित बैनामे के आधार पर कृषि योग्य भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। वाद का आर्थिक मूल्यांकन वास्ते क्षेत्राधिकार वादीय भूमि पर लगान 78.60 पैसा का 1/4 अंश

मु० 19.63 पै० होते है जिसका तीस गुना 588.90 पै० पर निर्धारित न्याय शुल्क निरस्तीकरण बैनामा मु० 27.50 एवं वास्ते निषेधाज्ञा निर्धारित न्याय शुल्क मु० 37.50 कुल न्याय शुल्क अंकन 60.00 रूपये अदा किया जाता है।

वादी निम्न सहायता पाने की याचना करता है:–

अ– यह कि डिक्री निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनाँक 11.06.2004 वादी के विरुद्ध शून्य घोषित किया जाय तथा प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया बैनामा दिनाँक 11.06.2004 को निरस्त किया जाय।

ब– यह कि बैनामा निरस्तीकरण की सूचना तहसीलदार कार्यालय बिसवाँ को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जाय।

स– यह कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जाय कि प्रतिवादीगण वादीय गाटा संख्याओं पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

द– अन्य जो न्यायोचित सहायता हो दिलाई जाय।

वादी के वादपत्र के विरुद्ध प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या 24 क[1] प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि धारा 1 जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार नहीं है। वादी का कोई सगा भाई नहीं है। वादी ने यह झूठ लिखा है। धारा 2, जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार नहीं है। वादी को पूर्ण अधिकार है। धारा 3 से इनकार है। पुतलीलाल की मृत्यु के बाद उनकी बेवा पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है। वादी ने यह झूठ लिखा है।

धारा 4 बनावटी मुकदमा है, स्वीकार नहीं है। धारा 6 इनकार है। धारा 7 गलत है, बनावटी मुकदमा है। धारा 8 इनकार है। धारा 9 गलत व बनावट से मुकदमा है। धारा 10 बनावटी मुकदमा है तथा आधारहीन है। अतएव खारिज किए जाने योग्य है। धारा 11 निराधार है। वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। धारा 12 वाद का मूल्यांकन विधि अनुरूप नहीं किया गया है और न तद्नुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। धारा 13 वादी किसी भी सहाय का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है। विशेष कथन में प्रतिवादीगण के द्वारा कथन किया गया है कि कि विवादित भूमि के संबंध में पुत्तीलाल की मृत्यु के उपरान्त वादी अवयस्क बहैसियत पुत्र तथा श्रीमती कुसुम देवी बहैसियत विधवा पत्नी उत्तराधिकारी अं० धारा 171 यू०पी० ज० उ० एवं भूमि सु० अधिनियम हुए। अवयस्क वादी का संरक्षक उसका चाचा सुरेश प्रकाश नहीं है। विवादित भूमि राजस्व खतौनी में पुत्तीलाल उपरोक्त की मृत्यु के उपरान्त वादी तथा मृतक पुत्तीलाल की विधवा श्रीमती कुसुमादेवी के नाम अन्य सहखातेदारों के साथ वेदनाथ, सुरेश, व देशराज के साथ बहैसियत संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर अंकित है। विवादित भूमि तथा अन्य संपत्तियों का पुत्तीलाल के जीवनकाल में उनके भाइयों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर विभाजन हो गया है जिसके क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्वयं पुत्तीलाल का तथा उनके भाइयों का अलग–अलग मकान एवं रहन–सहन जीवन पर्यन्त रहा और तद्नुसार वादी तथा उसकी माता का है। विवादित भूमिं उ० प्र० ज० उ० एव भू० सु० अधि० से शासित है जिसके अनुसार वादी तथा उसकी माता कुसुम देवी जो वादी की नैसर्गिक संरक्षिका भी है के संक्रमणीय अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लंघन वादी की ओर से है तथा कुसुम देवी द्वारा नहीं किया गया है। श्रीमती कुसुम देवी विधवा पत्नी पुत्ती लाल तथा सह खातेदार वेदनाथ, सुरेश एवं देशराज को आवश्यक पक्षकार मुकदमा के रूप में प्रतिवादीगण की श्रेणी में संयोजित नहीं किया गया है। अतएव वाद में असंयोजन का दोष है। श्रीमती कुसुम देवी कम दिमाग की महिला नहीं है और न उसने पुत्तीलाल की मृत्यु के उपरान्त द्वारिका के साथ पुनर्विवाह किया है। पक्षकार कुर्मी जाति के हैं और कथित द्वारिका का पता तथा जाति वाद पत्र में अंकित नहीं की गयी है। ग्राम निवासी द्वारिका पासी जाति का है जिसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। कथित द्वारिका वादी के चाचा सुरेश के नाजायज असर में रहता है। सुरेश एवं द्वारिका एक दूसरे के नाजायज सहयोगी हैं। वादी का संरक्षक कथित सुरेश नहीं है और न वह वादी का वाद मित्र है। कथित संरक्षक को वादी की ओर से वाद लाने का अधिकार नहीं है। विचाराधीन मुकदमा वादी के हितों की सुरक्षार्थ हेतु योजित नहीं किया गया है। राजस्व खतौनी में वादी अवयस्क की माता वादी की संरक्षिका अंकित है और तदनुसार वाद नहीं लाया गया है। वादी वयस्क है जिसका जीवन एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु विवादित भूमि का विक्रय सप्रतिफल वादी की ओर से तथा अपनी ओर से एवं उपर्युक्त श्रीमती कुसुम देवी ने प्रतिवादिनी संख्या के पक्ष में स्वेच्छा एवं सद्भावनापूर्वक दिनाँक 11.06.04 को पंजीकृत विक्रय विलेख

विधिक अनुलिपि निष्पादित कर दिया है। विवादित भूमि पर वादी तथा उसकी विधवा माता का अधिकार एवं अध्यासन पुत्ती लाल की मृत्यु के उपरान्त हुआ और उपर्युक्त विक्रय पत्र निष्पादन की तिथि से विवादित भूमि पर अधिकार एवं अध्यासन प्रतिवादिनी संख्या का है। विवादित भूमि में उपर्युक्त सुरेश कथित संरक्षिका का कोई हित एवं अधिकार नहीं है और न उसने वादमित्र प्रयोजनार्थ कोई प्रतिभूति ही जमा की है। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण की गन्ना व धान की फसल बोयी हुई लगी है। विवादित भूमि में वादी का कोई हित नहीं है और न उसे किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति की सम्भावना है। विक्रय पत्र दिनाँक 11.06.04 फर्जी नहीं है और न किसी भी भांति निरस्त किये जाने योग्य है। वादी के किसी भी अधिकार का हनन नहीं हुआ है। विवादित भूमि के सद्भावनापूर्ण क्रेता प्रतिवादीगण है। कथित संरक्षक से विशेष खर्चे प्राप्त करने के अधिकारी प्रतिवादीगण हैं।

दिनाँक 02.09.2006 को उभयपक्षों की उपस्थिति में निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

01. क्या वादी विवादित भूमि का अध्यासित स्वामी है?

02. क्या वादपत्र के अभिकथनों के आधार पर प्रश्नगत विक्रय विलेख निरस्त होने योग्य है?

03. क्या वाद न्यून मूल्यांकित है?

04. क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

05. अनुतोष।

दिनाँक 19.01.2012 को वाद में एक अतिरिक्त वाद बिन्दु विरचित किया गया।

06. क्या वाद पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दूषित है?

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 11 ग[1] से नकल बैनामा बही नं० 01, खण्ड छाप के पृष्ठ सं० 61/85, दस्तावेज नं० 297, इन्तखाब खतौनी खाता सं० 670 की छायाप्रति फ० 1406 से 1411 फसली, दस्तावेजी सूची 44 ग[2] से एक किता नकल 41 एवं 45 की फोटो स्टेट प्रति, दस्तावेजी सूची 47 ग[1] से एक किता नकल खतौनी फ 1406 से 1411 फ० तक ळ एक किता नकल एफ० आई० आर०, व दस्तावेजी सूची 49 ग[1] से 2 किता कब्जे के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तथा दस्तावेजी सूची () से एक किता फोटो कॉपी नकल आदेश दिनांकित 20.04.2005 पारित न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिसवाँ सीतापुर, एक किता फोटोकॉपी नकल आदेश दिनांकित 29.09.2005 पारित न्यायालय श्रीमान् परगना अधिकारी महोदय, बिसवाँ सीतापुर, एक किता फोटो कॉपी नकल आदेश दि० 17.01.2017 पारित न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय लखनऊ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 28 ग के माध्यम से एक किता असल बैनाा रजिस्ट्रीशुदा बहक कौशल किशोर आदि प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में पी०डब्लू० 01 के रूप में अनिल कुमार, पी०डब्लू० 02 के रूप में बनवारी, पी०डब्लू० 03 के रूप में रज्ञन कुमार के साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 24.01.2025 को वाद की कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन व परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या 180/0.275 व 193/0.186 व गाटा संख्या 194/0.185 हे० स्थित ग्राम बालपुर परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर से सम्बन्धित ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जो कि राजस्व अभिलेखों में अंकित हो व आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है , जिससे प्रतिवादीगण के विपरित कोई आदेश पारित किया जा सके। वादी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या 180/0.275 व 193/0.186 व गाटा संख्या 194/0.185 हे० की लेटेस्ट खतौनी दाखिल नहीं की गयी है जिससे कब्जा व दखल पता नहीं चल रहा है।

इसके अलावा यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि वादी को केवल अपने साक्ष्य पर ही भरोसा करना होगा। प्रतिवादी की कमियों का लाभ वादी को नहीं दिया जा सकता है।

विधि व्यवस्था Shambhu Prasad vs. Smt. Shamim Jahan {2006 (105) RD

738} में उल्लिखित किया गया है कि "Duty of plaintiff to establish his case by menas of evidence. He can not derive benefits from short comings of the defendants."

इसके अलावा इस संबंध में कुछ और अन्य विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना उचित होगा– **Daya Ram vs. Smt. Lakshmina and others, {2008(104) RD 415} Allahabad High Court.**

उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि **"It is settled principle of Law that person who alleges anything burden lies upon such person to prove its case. Defendants can not asked to discharge the negative burden."**

इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 में यह वर्णित है कि "जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राक्ष्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।"

जिससे यह स्पष्ट है कि जो कोई व्यक्ति एक वाद न्यायालय में दाखिल करता है एवं न्यायालय से उस वाद का निर्णय करने की प्रार्थना करता है उस वाद को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है।

इस संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रमुख नजीर **"हबीबउल्ला एवं अन्य बनाम मौ० यासीन एवं अन्य {1997 (98) RD 7H}"** में तथा इसके अलावा **[Moran Mar Basselios Catholic & Anr. vs. Most Rev. Mar Poulose Athanansina & ors. A.I.R. 1954 S.C. Page 526]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद प्रमाणित करने के लिए अपने ही साक्ष्य पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रतिवादी की कमियों के आधार पर वादी का वाद आज्ञप्ति नहीं किया जा सकता है।" **Their Lordship of the Privy Council in Jagdish Narain vs. Nawab Said Ahmad Khan (AIR 1946 PC 59) also has taken the similar view.**

उपर्युक्त अवलोकन से न्यायालय इस अभिमत की है कि वाद वादी अपने साक्ष्यों से साबित करने में असमर्थ रहा है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादी अपने वाद को अपने अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है जिससे दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वयं खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है। वाद व्यय पक्षकार आपना–अपना वहन करेंगे।

तदनुसार आज्ञप्ति निर्मित हो।

<u>दिनाँक 16.04.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ सीतापुर।

आज दिनाँक 16.04.2026 को उपरोक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनाँक 16.04.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–